मेडिकल स्टोर्स पर प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री न हो : प्रियंका गोस्वामी

- जिले में नशा मुक्ति के लिये समुचित रूप से प्रभावी कार्यवाही करने और नशा मुक्त अभियान में आमजन की सहभागिता और जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिये

कोटपूतली। नार्को कोर्डिनेशन सेंटर (एन-कोर्ड) की जिला स्तरीय कमेटी की बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलक्टर प्रियंका गोस्वामी की अध्यक्षता में हुई। जिला कलक्टर ने सीमावर्ती क्षेत्रों में मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के साथ-साथ जिले में नशा मुक्ति के लिये समुचित रूप से प्रभावी कार्यवाही करने और नशा मुक्त अभियान में आमजन की सहभागिता और जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिये।

जिला कलेक्टर ने समाज कल्याण विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग व पुलिस विभाग के अधिकारी को जिले में संचालित नशा मुक्ति केंद्रों की नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा। उन्होंने शिक्षा विभाग को कर्य योजना बनाकर एक निश्चित दिन पर शैक्षणिक संस्थाओं में विद्यार्थियों को विभिन्न माध्यमों से नशे के दुष्प्रभावों व रोकथाम के बारे बारे में जागरूक करने को कहा जिला कलेक्टर ने मेडिकल स्टोर्स पर पर्याप्त निगरानी रखने, मेडिकल स्टोर्स पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने, बिना पर्ची दवा देने, बैन दवाओं के रखने की व नियमित दवा भंडार की जांच व समीक्षा करने के निर्देश दिए।

कोटपुतली जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने अधिकारियों की बैठक ली ।

उन्होंने सीएमएचओ से जिले में ड्रग इंस्पेक्टर की नियुक्ति हेतु उच्चाधिकारियों को अवगत कराने के लिए निर्देशित करते हुए कहा कि कार्ययोजना बनाकर जिले के मेडिकल स्टोर्स की जांच करें, अनियमितता पाये जाने पर मेडिकल स्टोर्स के लाईसेंस निरस्त कर कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करें. उन्होंने कहा कि मेडिकल स्टोर्स पर प्रतिबंधित घटक दवाओं की बिक्री न हो, इसके लिये ड्रग इंस्पेक्टर व चिकित्सा विभाग द्वारा समन्वित टीम बनाकर नियमित रूप से औचक कार्यवाही की जाये। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओमप्रकाश सहारण ने पूर्व बैठक में दिए गए निर्देशों की अनुपालना की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि नशा मुक्त अभियान की सफलता के लिये आमजन की जागरूकता और उनकी सहभागिता आवश्यक है, संबंधित राजस्व, आबकारी, समाज कल्याण, शिक्षा, आयकर एवं पुलिस विभाग सक्रिय होकर कार्य करें। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने सीमावर्ती क्षेत्रों में मादक पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण के लिये अब तक हुई कार्यवाहियों की समीक्षा करते हुए कहा कि समस्त एजेंसियां आपसी तालमेल से तस्करी पर रोक लगायें। सीमा पार से आने वाले नशीले पदार्थों और इनमें संलिप्त अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये।

पावटा में विभिन्न सेवा कार्य किए

पावटा। भारत सरकार के केंद्रीय वन,पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा अलवर सांसद भूपेंद्र यादव के जन्मदिवस के अवसर पर पावटा क्षेत्र में विभिन्न सेवा कार्यों का आयोजन किया गया। सेवा कार्यों के तहत उपजिला अस्पताल पावटा में भर्ती मरीजों को फल वितरित कर उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई। वहीं, पंचायत स्तर पर गौमाताओं के लिए सवामणी का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्र में विशेष साफ-सफाई अभियान चलाया गया और बंदरों को केले खिलाकर जनसेवा की भावना को साकार किया गया। इन सभी सेवा कार्यों के माध्यम से क्षेत्रवासियों ने भूपेंद्र यादव की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य एवं सफल राजनीतिक जीवन की मंगलकामना की। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में सेवा, सहानुभूति और स्वच्छता जैसे मूल्यों को प्रोत्साहित करना था। इस अवसर बीज निगम डायरेक्टर जगदीश यादव, सरपंच मदन यादव, ब्लॉक बीसीएमएचओ डॉ. कृष्णा शेखावत, पीएमओ डॉ. रवि बंसल, डॉ. अशोक चौधरी, डॉ. सुरेंद्र यादव, उपेंद्र शेखावत, कोऑपरेटिव अध्यक्ष राजेंद्र यादव, रामकिशन, नरसी, बलराम सहित अनेक कार्यकर्ताओ एवं क्षेत्रवासियो ने एकजुट होकर भूपेंद्र यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

ग्रामीणों को लाभान्वित किया

निवाई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाडे के अन्तर्गत आयोजित शिविर में उपखंड अधिकारी अनीता खटीक के आदेशानुसार शिविर प्रभारी नायब तहसीलदार जीवनराम शर्मा के नेतृत्व में ठामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया।

ग्राम विकास अधिकारी लादूलाल बैरवा ने बताया कि शिविर में परिवादी भागचन्द सौनी पुत्र रामेश्वर सोनी निवासी दतवास ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमे बताया कि उनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में चन्द्रा पुत्र रामेश्वर नाम दर्ज है। जबकि उनका सही नाम भागचन्द पुत्र रामेश्वर सोनी है एवं आधार कॉर्ड व पैन कॉर्ड आदि सभी दस्तावेजो में भी भागचन्द पुत्र रामेश्वर ही है।

शिविर में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की जाँच करके प्रार्थी का नाम सही रूप से भागचन्द पुत्र रामेश्वर सोनी करके राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करके प्रार्थी को लाभान्वित किया गया।

विधायक धनकड़ के जन्मदिवस पर गौ माता को हरा चारा खिलाया

पावटा। विधायक धनकड़ के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह के तहत रविवार को विधायक प्रतिनिधि आशीष धनकड के नेतृत्व मे भाजपाइयों द्वारा ग्राम पंचायत मंढा में रामदेवरा गौ शाला में गौ माता को हरा चारा व गुड डाला व गौ माता की सडक हादसों के सुरक्षार्थ गले में रेडियम पट्टे बांधे गए। जहां विधायक प्रतिनिधि आशीष धनकड ने पहुंचकर वहां के गौवंशों को हरा चारा व गुड़ एवं खिलाया। इस दौरान उन्होंने गौ माता का पूजन कर आशीर्वाद भी लिया। वही आशीष धनकड ने कहा कि सड़क पर बैठने व घुमने वाले गायों के गले में रिफलेक्टर पट्टी (रेडियम बेल्ट) बांधने से गायों व आमजन की सुरक्षा के लिए ऐसा प्रयास किया है। ऐसे प्रयास का साकारात्मक परिणाम यह रहता है कि रात के अंधेरे में सड़क पर घुम रही या बैठी गाय भले नजर न आए लेकिन रिफलेक्टर पट्टी दूर से ही चमकने लगती है। जिससे वाहन चालक सतर्क हो जाते हैं।

पंचायत मंढा में रामदेवरा गौ शाला में गौ माता को हरा चार खिलाया।

वही सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भांकरी में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजन किया गया। पंचायत समिति सदस्य मुखराम धनखड़ ने बताया विधायक साहब के जन्मदिन के उपलक्ष पर पूरे विधानसभा में यह पौधारोपण कार्यक्रम और गौशाला में गायों को हरा चारा का कार्यक्रम एक सप्ताह से चल रहा है कल सभी देव स्थान पर पौधारोपण का कार्यक्रम रहेगा। इस दौरान आशीष धनकड विधायक प्रतिनिधि विराटनगर, प्रधान प्रतिनिधि टिंकू सैनी, विकास सिंह शेखावत मण्डल अध्यक्ष भाजपा प्रागपुरा, शेर सिंह मंढा, संजय मिश्रा, दिनेश सिंह, रणजीत ताखर, शिव स्वामी, अजय सिंह, संदीप सिंह, सचिन गुर्जर, राजा गुर्जर, महावीर वर्मा, छोटे लाल वर्मा, कृष्ण सिंह, सीनू सिंह, देव सिंह, विकास, अमित, विशाल, पूर्व प्रधान प्रतिनिधि जगन चौधरी, पुर्व सरपंच हेमन्त धनखड़, प्रधानाचार्य शेर सिंह, पुर्व प्रधानाचार्य शिम्भुदयाल गढ़वाल, मुरारीलाल शर्मा गुरुजी, विश्वंभर शर्मा गुरुजी, रामजीलाल धानका गुरुजी, बंशी धनखड़ होलदार, लीलाराम धनखड़, कमलेश किशोर, धर्मराज गुर्जर अनेक ठाम वासियों ने कार्यकर्ताओं ने और विद्यालय के स्टाफ ने विधायक कुलदीप धनखड़ की जन्मदिन के उपलक्ष पर पौधारोपण किया।

'सीएम भरतपुर से, फिर भी भरतपुर-धौलपुर के जाट समाज से सौतेला व्यवहार'

- डहरामोड पर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के नेतृत्व में महापंचायत
- नागौर सांसद व भरतपुर सांसद महापंचायत में शामिल

नदबई । प्रदेश का मुखिया भरतपुर जिले से, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार...लेकिन, फिर भी डीग भरतपुर-धौलपुर जाट समाज को केन्द्र में आरक्षण नही। डीग भरतपुर-धौलपुर के जाट समाज को केन्द्र में आरक्षण, समाज की एकजुटता के चलते नही मिल रहा। जिस दिन जाट समाज एकजुट होकर मजबूती से आन्दोलन करने का संकल्प लेगा। केन्द्र सरकार को मजबूरन डीग भरतपुर-धौलपुर के जाट समाज को आरक्षण देना होगा।

नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने आगरा-जयपुर राजमार्ग पर डहरामोड के समीप जाट आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से आयोजित महापंचायत में शामिल होते हुए आन्दोलन का समर्थन किया। वही, आगामी लोकसभा सत्र में डीग भरतपुर धौलपुर जाट समाज को केन्द्र में आरक्षण की मांग को लेकर मुद्दा उठाने का आश्वासन दिया। इससे पहले महापंचायत में भरतपुर सांसद संजना जाटव ने भी प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद, डीग भरतपुर धौलपुर जाट समाज को आरक्षण नही मिलने पर प्रदेश मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा। वही, लोकसभा में मामला उठाने के बावजूद, उचित जबाव नही मिलने पर नारागजी जताई। बाद में भरतपुर सांसद ने आगामी सत्र में दुबारा मामला उठाने व जाट समाज के आन्दोलन में शामिल होने को कहा। बाद में जाट आरक्षण संघर्ष समिति संयोजक नेमसिंह फौजदार ने पांच सूत्रीय मांग को लेकर नदबई एसडीएम गंगाधर मीणा को ज्ञापन दिया। वही, जाट समाज के लोगों एक माह में आरक्षण की प्रक्रिया शुरु नही होने पर सडक पर आन्दोलन करने की चेतावनी दी।

इससे पहले जाट आरक्षण संघर्ष समिति पदाधिकारियों ने महापंचायत को संबोधित करते हुए जाट समाज को एकजुट होने को कहा। बाद में प्रदेश सरकार से कमेटी गठित कर व्यक्तिगत पहल करने, प्रदेश सरकार से मुकदमा वापिसी, महाराजा सूरजमल बोर्ड गठन व चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति व केन्द्र सरकार से डीग भरतपुर धौलपुर जाट समाज को आरक्षण दिलाने की मांग करते हुए एसडीएम को ज्ञापन दिया। महापंचायत की अध्यक्षता मास्टर चन्द्रपाल वहज ने की। जबकि, पूर्व विधायक व यूपी जाट समाज प्रदेशाध्यक्ष राजेश चौधरी, मथुरा जिलाध्यक्ष राजेश चौधरी, किसान यूनियन चरन सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह, समाजसेवी हर्ष छिकारा, सुभाष सरपंच नगला बीजा, विजय सरपंच हनीपुर, धर्मेन्द्र सोलंकी, गोविन्द सिंह सरपंच दौलतगढ ने संबोधित किया।

शपथ ग्रहण समारोह आयोजित

टोंक। जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (जार) टोंक का नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण एवं स्नेह मिलन समारोह सोमवार को अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक सिविल लाईन जयपुर विधायक गोपाल शर्मा रहे एवं निवाई-पीपलू विधायक रामसहाय वर्मा की अध्यक्षता में समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान विशिष्ठ अतिथियों में जिला प्रमुख सरोज बंसल, भाजपा जिलाध्यक्ष चन्द्रवीर सिंह चौहान, प्रदेशाध्यक्ष जार संजय सैनी, मुख्य वक्ता एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राकेश शर्मा, प्रदेश महासचिव सुरेश पारीक, भंवर सिंह कुशवाहा, अशोक श्रीमाली एवं जसवंत इत्यादि रहे। इस अवसर पर विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि पत्रकारिता आज के समय किसी चुनौती से कम नही है।

80 से अधिक केंद्रों पर ईमित्र सुविधाएं

कोटपूतली। जिले में आधार नामांकन केंद्रों पर निगरानी और मॉनिटरिंग हेतु जिला स्तर पर गठित जिला आधार मॉनिटरिंग समिति की बैठक जिला कलक्टर प्रियंका गोस्वामी की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। जिला कलक्टर ने सभी रजिस्ट्रार (डाक विभाग, बैंक, सूचना प्रौद्योगिकी , महिला और बाल विकास, शिक्षा विभाग और सीएससी) को अपने आधार केंद्रों पर निरीक्षण करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करें की आधार संचालक ऑपरेटर आमजन से निर्धारित राशि ही लेकर सेवा प्रदान करें, अनियमितता या अधिक शुल्क वसूलने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाए और जहा पर आधार केंद्रों की कमी है वहा आधार ऑपरेटर नियुक्त कर केंद्र की स्थापना की जाए ताकि आमजन आधार से संबधित कार्य नजदीकी केंद्र पर से करवा सकें एसीपी सूचना प्रौद्योगकी विभाग सुनील मीणा ने बताया कि वर्तमान में आधार केंद्रों पर नए आधार कार्ड नामांकन और अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेशन निशुल्क है. उन्होंने बताया कि अनिवार्य बायोमेट्रिक हर 10 साल में करवाया जाना है।

राइजिंग राजस्थान के तहत किए गए एमओयू की क्रियान्विति को लेकर कलेक्टर ने ली बैठक

- 558 में से 50 एमओयू धरातल पर उतरे, 17 एमओयू में प्रोडक्शन स्टार्ट, अब तक 36000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ और लगभग एक लाख नए रोजगार सर्जित हुए हैं

खैरथल । खैरथल तिजारा जिले के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के रीको सभागार में सोमवार को जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में राइजिंग राजस्थान के तहत जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट के दौरान किए गए एमओयू की प्रगति की समीक्षा के संबंध में बैठक आयोजित की गई।

इस बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल प्रकाश, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुमित्रा मिश्र, जीएमडीआईसी सुरजीत सिंह खोरिया, वरिष्ठ प्रबंधक रीको यूनिट द्वितीय आदित्य शर्मा, नगर परिषद आयुक्त मुकेश कुमार, अधीक्षण अभियंता विद्युत विभाग जेपी बेरवा साहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

खैरथल तिजारा जिले के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के रीको सभागार में कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई ।

जिला कलेक्टर ने बैठक लेते हुए सभी विभागों को निर्देशित किया कि राईजिंग राजस्थान के अन्तर्गत किये एमओयू के तहत भूमि संबंधित प्रकरण, कनवर्जन, विद्युत आपूर्ति एवं एनओसी के कार्यों का प्राथमिकता से निस्तारण करें। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि निवेशक से बेहतर समन्वय करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करें एवं समयबद्ध कार्य प्रारंभ करवाने के प्रयास करें । उन्होंने संबंधित विभाग से एमओयू की वन टू वन संपर्क कर कैटेगरी ए, बी, सी, माइल स्टोन - 1,2,3,4,5, और टास्क असाइन संबंधित अपडेट राजनिवेश पोर्टल पर करने के निर्देश दिए और एमओयू धारक को आवश्यक भूमि के लिए संबंधित क्षेत्र एवं विभाग में नियमानुसार आवेदन कराने के लिए जागरूक करने को कहा। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया की भू- रूपांतरण, सीएलयू पेंडेंसी, का शीघ्र निस्तारण करते हुए भूमि विजिट एवं आवंटन संबंधी प्रगति भी पोर्टल पर अपडेट करें। बैठक में महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र भिवाड़ी एस एस खोरिया ने गत बैठक में दिए गए निर्देशों की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए विभागवार प्रगति की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 के तहत जिले में 275 एम ओ यू लगभग 22000 करोड़ के हुए थे। राजनिवेश पोर्टल पर अब तक जिले में कुल 558 एमओयू किए हैं, जिनमें कुल प्रस्तावित निवेश लगभग 36000 करोड रुपए एवं प्रस्तावित रोजगार लगभग 100000 है।

सूचना श्री मुकेश पारीक पुत्र स्व. श्री दामोदर पारीक, श्री राजेन्द्र शर्मा पुत्र स्व. श्री नानगराम शर्मा, श्री सोनू राव पुत्र स्व. श्री दुर्गालाल को जारी आरोप पत्र दिनांक 05 अक्टूबर 2024 में मुझे राजस्थान गौ सेवा संघ द्वारा जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है।
आप दिनांक 12 जुलाई 2025 को दोपहर 12.00 बजे निम्न पते पर उपस्थित होवे, यदि आप उपस्थित नहीं हुये तो आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।
पता-धर्मेन्द्र जैन, जाँच अधिकारी, सिद्धान्त एसोसियेट, अकुल चेम्बर, द्वितीय तल, जे.पी. अण्डरपास के सामने, होटल सरोवर प्रिमियर के पास, सहकार मार्ग, जयपुर

खोया पाया

मेरे मकान नम्बर 183/69 प्रताप नगर, सांगानेर का अलाटमेंट लेटर एवं सभी कागजात कहीं खो गया मिलने पर सूचित करें-हरीश-9828794209

मेरे प्लाट नम्बर एल-54, स्कीम-शिव एनक्लेव, ग्राम गणपतपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर का मूल आवंटन सह मांग पत्र क्रमांक 254 दिनांक 03.03.2020 ईस्वी को मेरे नाम (निधि यादव पत्नी श्री विनीत कुमार) कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा जारी कहीं गुम हो गया है। मिलने पर सूचित सम्पर्क। निधि यादव-मो.नम्बर-8503923341

नाम परिवर्तन

I have changed my name from Prakash maharchandani to Prakash Kumar maharchandani S/o Thakur Das Maharchandani R/o 19, Kanwar Nagar, Chandi Ke Takasal, Jaipur. For all purpose.

I have changed name of my daughter Yogyata Kumari to Yogita Kumari for all future. Address. Kesharpura, Post Teekar, Teh.: Jahazpur, Distt. Bhilwara, Rajasthan

I Ghyan Kanwar legally wedded spouse of Army no 4548345 Ex NK Late Hukam singh resident of 32 A Devi nagar vistar Rawan gate jhotwara jaipur that i have changed my name which is wrongly entered in my husband service record from GHYAN KANWAR To GEND KANWAR (DOB 1/1/1965) vide affidavit dated 30 June 2025 before asst district collector Jaipur

In The Court of VIII Civil Judge Class-I, District Court, Jabalpur
Presiding Officer : अंकिता शाही
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)
(RCS B/0000063/2023)
मेसर्स बून लीगल प्लेट्स...वादी
VS
मेसर्स गोदावरी टेक्नो साल्यूसन प्राईवेट लिमि....प्रतिवादी
Process Id - /2025 पेशी दिनांक : 05.08.2025
प्रेषिती-
(1) मेसर्स गोदावरी टेक्नो साल्यूसन प्राईवेट लिमिटेड पता- पता सी 2 सेकेण्ड फ्लोर वैशाली नगर वैशाली नगर जयपुर 302021 यह कि प्रार्थी मेसर्स बून लीगल प्लेट्स ने आपके विरूद्ध आर सी एस बी वाद वास्ते राशि 635496 रूपये की वसूली हेतु के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात हाजिर होने के लये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करायें यह आज तारीख 19.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।
न्यायाधीश
श्रीमती अंकिता शाही
अष्टम व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड)
जबलपुर (म.प्र.)
मुहर

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

महाराणा प्रताप (नगर) गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर (राज.)
आम सूचना दि.- 25.06.2025
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती प्रेम कंवर पत्नी श्री बोदू सिंह का प्लाट नं. 174, श्री बालाजीधाम योजना में भूखंड है इसके दस्तावेज आवंटन पत्र, साइड प्लान, समिति की रसीद कही गुम हो गए हैं गुम होने की रिपोर्ट पुलिस थाना करधनी में कर दी थी एवं राष्ट्रदूत न्यूज पेपर में दिनांक 2 मई, 2025 को भी खोया पाया में निकाल दिया था। अतः अब प्रेम कंवर ने समिति में प्रार्थना पत्र देकर डुप्लीकेट आवंटन पत्र, साइट प्लान व समिति की रसीद देने के लिए प्रार्थना की है। अगर किसी को कोई एतराज हो तो सात दिवस में आपत्ति दर्ज करावें। अन्यथा श्रीमती प्रेम कंवर को डुप्लीकेट आवंटन पत्र दे दिया जावेगा। सनद् रहे।
मंत्री
महाराणा प्रताप गृह निर्माण सह. समिति लि.

कार्यालय उपायुक्त मालवीय नगर जोन, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
(नई विधानसभा के पास, लालकोठी, जयपुर)
क्रमांक : एफ (0)न.नि.ज. ग्रेटरमा.न.जोन/ 2024 / 889 दिनांक:- 27-06-2025
सार्वजनिक सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती दीपिका मीना पत्नी श्री राकेश कुमार मीना द्वारा भूखण्ड सं. 29 बाईस गोदाम (कच्ची बस्ती) जयपुर क्षेत्रफल 133.33 वर्गगज भूमि का नाम हस्तानान्तरण चाहा गया है। कार्यालय जयपुर नगर निगम जयपुर द्वारा भूखण्ड संख्या 29 बाईस गोदाम (कच्ची बस्ती) क्षेत्रफल 266.66 वर्गगज का पट्टा विलेख श्री गोरी शंकर पुत्र श्री नन्दराम के पक्ष में जारी किया गया। श्री गोरी शंकर पुत्र श्री नन्दराम द्वारा वसीयत नामा (रजिस्टर्ड) दिनांक 11.09.2019 के द्वारा प्लाट नं0 29 का पूर्वी हिस्सा दीपिका (दूसरी पत्नी से उत्पन्न बेटी) तथा पश्चिमी हिस्सा कंचन (प्रथम पत्नी से उत्पन्न बेटी) के पक्ष में निष्पादित की गई। श्रीमती पार्वती देवी पत्नी श्री गोरीशंकर द्वारा जरिये रजिस्टर्ड उपहार पत्र भूखण्ड संख्या 29 के पूर्वी हिस्से नाप पूर्व से पश्चिम 30' उत्तर से दक्षिण 40' क्षेत्रफल 133.33 वर्गगज अपनी पुत्री दीपिका मीणा पत्नी श्री राकेश कुमार मीना को भेंट की गयी। कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, मालवीय नगर जोन द्वारा भूखण्ड संख्या 29 बाईस गोदाम (कच्ची बस्ती) का कुल क्षेत्रफल 266.66 वर्गगज के पूर्वी हिस्से नाप पूर्व से पश्चिम 30' उत्तर से दक्षिण 40' क्षेत्रफल 133.33 वर्गगज का उपविभाजन श्रीमती दीपिका मीना पत्नी श्री राकेश कुमार मीना के पक्ष में सम्पादित किया गया। आवेदक के द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये अन्य दस्तावेजों की छायाप्रति के आधार पर भूखण्ड सं. 29 बाईस गोदाम (कच्ची बस्ती) जयपुर का नाम हस्तानान्तरण नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा श्रीमती दीपिका मीना पत्नी श्री राकेश कुमार मीना के पक्ष में किया जाना है। इस नाम हस्तानान्तरण बाबत किसी भी व्यक्ति संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त, मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर) में प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित समयावधि की समाप्ति के बाद, नियमानुसार पट्टा विलेख की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।
उपायुक्त मालवीय नगर जोन, नगर निगम ग्रेटर जयपुर

अपील की सुनवाई के लिए नियत दिन की प्रत्यर्थी को सूचना
(आदेश 41 के नियम 14)
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर
गुड्डी वगै. विरूद्ध राजेश वगै.
अपील संख्या 54/24
श्री/श्रीमती (1) रमेश पुत्र किरोड़ी (2) रामधनी पुत्र मुड़या (3) गिल्लो पुत्री मुड़या (4) रामराज पुत्र रामधन (5) शिवराम पुत्र रामधन (6) कौशल्या पुत्री रामधन (7) प्रकाशी पुत्री रामधन (8) ऐरन्ता पुत्री रामधन (9) जयसिंह पुत्र तेजराम (10) रज्जो पुत्री तेजराम (11) काड़ी पुत्री तेजराम (12) गोरा पुत्री तेजराम (13) गिर्राज पुत्र प्रभू (14) खिलाड़ी पुत्र प्रभू (15) पीतम देवी पत्नि विनोद (16) कुलदीप पुत्र शिवचरण (17) कपिल पुत्र शिवचरण (18) महेन्द्र पुत्र रंगलाल (19) नरेन्द्र पुत्र रंगलाल (20) राजेन्द्र पुत्र श्रीफल (21) मौसमी पत्नि विजेन्द्र (22) कौशल पुत्र विजेन्द्र (23) सौरभ पुत्र विजेन्द्र (24) संजू पुत्री विजेन्द्र (25) रूपचन्द्र पुत्र नारायण (26) ठण्डी पुत्र श्रीलाल (27) सांवलिया पुत्र श्रीलाल (28) प्यारेलाल पुत्र सांवलिया (29) सुरजो पत्नि रामराज समस्त जातियान मीना निवासीजन ठहरिया तहसील नादोती जिला करौली (राज.)।
आपको सूचना दी जाती है कि इस मामले में उपखण्ड अधिकारी नादौती जिला करौली की डिक्री की अपील अपीलांट अधिवक्ता द्वारा पेश की गई है। और इस न्यायालय में रजिस्टर कर ली गई है और इस अपील की सुनवाई के लिए इस न्यायालय द्वारा तारीख 04.07.2025 नियत की गई है।
यदि इस अपील में आपकी ओर से आप स्वयं या आपके प्लीडर या आपके लिए कार्य करने के लिए विधिना प्राधिकृत कोई व्यक्ति उपसंजात नहीं होगा तो यह आपकी अनुपस्थिति में सुनी और विनिश्चित की जावेगी।
यह आज तारीख 30.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय मुद्रा लगाकर दी गई।
मोहर अदालत
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

सार्वजनिक सूचना
विज्ञप्ति वास्ते कोर्ट केस विवादित प्लाट
सर्व साधारण को मेरे अभिभाष्य श्री मोतीलाल मौर्य, निवासी-प्लॉट नं.-82 एकता नगर, मनोहरपुरा, जयपुर मोबाईल नं.-6376161947 की ओर से सूचित किया जाता है कि प्लॉट नं.- 71, वाके रूप नगर कॉलोनी, मनोहरपुरा, जयपुर मेरे अभिभाष्य की निजी सम्पत्ति है जिसका केस न्यायालय सांगानेर, जयपुर में चल रहा है। अतः कोई भी व्यक्ति/संस्था आदि उक्त प्लॉट की खरीद फरोख्त नहीं करे और एग्रीमेन्ट आदि निष्पादित नहीं करे, यदि कोई क्रय या एग्रीमेन्ट आदि करवाता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
(देवेन्द्र सिंह कुशवाहा), एडवोकेट
Mobile: 8209956098

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
(व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4)
न्यायालय अपर जिला एवं सैंशन न्यायाधीश क्रम संख्या 1, सांभरलेक
संजू चौधरी विरुद्ध विकास चौधरी
वाद/प्रार्थना-पत्र - 13-ए
प्रार्थना पत्र संख्या-51/2025सन
नाम विकास चौधरी पुत्र सीताराम जाति जाट पता कान्यावास पोस्ट जमरामपुरा थाना हरमाड़ा, तहसील आमेर जिला जयपुर (राज.)
उक्त ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि-
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 15 माह 07 सन् 2025 को 10.00 बजे पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश को सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।
यह आज दिनांक 05 माह 06 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
मोहर अदालत
आज्ञा से
रीडर ग्रेड प्रथम
अपर जिला एवं सैंशन न्यायाधीश
क्रम संख्या 1, सांभरलेक

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
(व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4)
न्यायालय अपर जिला एवं सैंशन न्यायाधीश क्रम संख्या 1, सांभरलेक
प्रिया चौधरी विरुद्ध विकास चौधरी
वाद/प्रार्थना-पत्र - 13-ए
प्रार्थना पत्र संख्या-52/2025सन
नाम विकास चौधरी पुत्र सीताराम जाति जाट पता कान्यावास पोस्ट जमरामपुरा थाना हरमाड़ा, तहसील आमेर जिला जयपुर (राज.)
उक्त ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि-
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 15 माह 07 सन् 2025 को 10.00 बजे पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश को सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।
यह आज दिनांक 05 माह 06 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
मोहर अदालत
आज्ञा से
रीडर ग्रेड प्रथम
अपर जिला एवं सैंशन न्यायाधीश
क्रम संख्या 1, सांभरलेक

प्रारूप-10 (नियम6(7) देखिए)
कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका मण्डल जोबनेर जयपुर
सं. 884 **लोक सूचना** दिनांक-23.06.25
1. श्री अजीत चौधरी पुत्र श्री